हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

तृतीय सत्र

समाचार भाग-1

संख्याः 26

बुधवार, 29 अगस्त, 2018/7 भाद्रपद,1940 (शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

समयः 11.00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, डॉ0 राजीव बिन्दल की अध्यक्षता में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरंभ हुई।

1. प्रश्नोत्तर

(I) तारांकित प्रश्न

स्थगित तारांकित प्रश्न संख्याः 511 के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्री द्वारा उनके उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्याः 702 व 705 के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री (प्राधिकृत) द्वारा उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्याः 703, 704, 706 व 707 के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्रियों द्वारा उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 708 से 737 तक के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गए।

(II) अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्याः 153 से 161 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

व्यवस्था का प्रश्न

श्री राकेश सिंघा, सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा-

"Hon'ble Speaker, sir I would like to raise this Point of Oder. Yesterday, the Himachal Pradesh Government, without the approval of the Cabinet has taxed the school children very heavily. I request the Government, through you, to please remove that tax which has come in the form of bus fare and that is only limited to the children of Shimla."

अध्यक्ष महोदय ने इसे व्यवस्था का प्रश्न न मानते हुए सदस्य को उक्त विषय पर नियमों के अन्तर्गत नोटिस देकर चर्चा करने के लिए कहा।

2. कागज़ात सभा पटल पर

श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री ने निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखीं:-

(i) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 98(8) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पांचवे राज्य वित्तायोग का प्रतिवेदन, वर्ष 2018; और

(ii) हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर के नियम 16 के उप-नियम 12 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2017-18.

3. सदन की समितियों के प्रतिवेदन

(1) **श्री हर्षवर्धन चौहान, सदस्य, लोक लेखा समिति, (वर्ष 2018-19)** ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीं :-

(i) समिति का 17वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 282वें मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा सिंचाई एवं जन- स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित है;

(ii) समिति का 18वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 214वें मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा सिंचाई एवं जन- स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित है; और

(iii) समिति का 19वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 171वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा पशुपालन विभाग से सम्बन्धित है।

(2) **श्री रमेश चन्द ध्वाला, सभापति, प्राक्कलन समिति, (वर्ष 2018-19)** ने समिति का तृतीय कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 24वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2016-17) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा शिक्षा विभाग से सम्बन्धित है, की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

(3) **श्री नरेन्द्र बरागटा, सभापति, लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2018-19)** ने समिति का नवम् मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2012-13(आर्थिक क्षेत्र) के ऑडिट पैरा 2.1.1 से 2.1.12 की संवीक्षा पर आधारित तथा हिमाचल प्रदेश ब्यास घाटी विद्युत निगम सीमित से सम्बन्धित है, की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

(4) **श्री सुख राम, सभापति, कल्याण समिति, (वर्ष 2018-19)** ने समिति का 26वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2016-17) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 34वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2016-17) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि जनजातीय विकास विभाग से सम्बन्धित है, की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

(5) श्री राकेश पठानिया, सभापति, जन-प्रशासन समिति, (वर्ष 2018-19) ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीं:-

(i) समिति का पंचम् कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 37वें मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2011-12) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा सामान्य प्रशासन विभाग से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति का 23वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 29वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं

विधान सभा) (वर्ष 2016-17) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि सहकारिता विभाग से सम्बन्धित है ।

4. <u>नियम-130 के अन्तर्गत चर्चा</u>

दिनांक 27 अगस्त, 2018 को नियम-130 के अन्तर्गत "**सरकार की पर्यटन नीति पर यह सदन विचार करे**" विषय पर समाप्त हुई चर्चा का माननीय मुख्य मन्त्री ने उत्तर दिया।

12.57 बजे अपराह्न सदन की बैठक भोजनावकाश के लिए 2.00 बजे अपराह्न तक स्थगित हुई।

भोजनावकाश के उपरान्त 2.00 बजे अपराह्न सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष डॉ॰ राजीव बिन्दल की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु, सदस्य ने माननीय मुख्य मंत्री द्वारा नियम-130 के अन्तर्गत हुई चर्चा पर दिए गए उत्तर के बीच उनके नाम का उल्लेख करते हुए उनके द्वारा श्री महेन्द्र सिंह धोनी, क्रिकेट स्टार के राजधानी शिमला आगमन पर सरकार द्वारा उन्हें उपलब्ध करवाई गई सुरक्षा एवं सुविधाओं के संबंध में मीडिया में दिए गए बयान बारे स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने यह भी कहा कि नगर निगम शिमला के अन्तर्गत रिज में शूटिंग की परमिशन है पर इसके लिए नगर निगम पैसा लेता है। परन्तु जो मास्टर कार्ड के विज्ञापन के लिए शूटिंग हो रही है, जिससे उन लोगों को पैसा मिलेगा, उसके लिए नगर निगम द्वारा छूट क्यों दी गई?

संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु को माननीय मुख्य मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर में अपना नाम आने बारे स्पष्टीकरण तक ही सीमित रहना चाहिए था। यदि ये बाकी बातें चर्चा में लाना चाहते है तो इस के लिए ये नियम के तहत नोटिस दें और चर्चा करवा लें।

सुखविन्द्र सिंह सुक्खु द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण एवं कही गई बात पर माननीय मुख्य मंत्री ने कहा "अखबार में खबर आपके नाम से छपी हुई है। उस खबर को बेस बना कर लोगों ने Social Media में इस प्रकार शेप दी की Wildflower Hall में उनके ठहरने का इंतजाम सरकार द्वारा किया गया है।" मुख्य मंत्री ने कहा कि श्री महेन्द्र सिंह धोनी जैसे अन्तर्राष्ट्रीय ख्यति प्राप्त खिलाड़ी को सरकार द्वारा राज्य अतिथि घोषित करना तथा सुरक्षा मुहैया करवाना अवश्यक है।

5. <u>नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव</u>

श्री राकेश सिंघा, सदस्य ने नियम-62 के अन्तर्गत "the situation arising out of thousands of farmers being cheated by Commission Agents in different apple markets of Narkanda, Parala (Theog) and Bhattakkuffar etc." विषय पर प्रस्ताव प्रस्तुत किया एवं चर्चा की।

माननीय कृषि मुख्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

<u>शिक्षा मंत्री द्वारा वक्तव्य</u>

श्री सुरेश भारद्वाज, माननीय शिक्षा मंत्री ने राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रों/छात्राओं को दी जाने वाली छात्रवृत्तियों में पाई गई अनियमितताओं, इस छात्रवृति घोटाले को सी.बी.आई. को सौंपने तथा भविष्य में ऐसे घोटाले की पुनरावृत्ति न होने देने हेतु शिक्षा विभाग द्वारा विभिन्न स्तरों पर बरती जा रही चौकसी बारे वक्तव्य दिया।

6. <u>विधेयक को वापिस लेने बारे प्रस्ताव</u>

श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा में दिनांक 5 अप्रैल, 2016 को पारित **हिमाचल प्रदेश निक्षेपकों के हित का (वित्तीय स्थापनों में) संरक्षण संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 4)** को वापिस लिया जाये ।

श्री हर्षवर्धन चौहान, सदस्य ने विधेयक वापिस लने के प्रस्ताव का विरोध करते हुए चर्चा की।

माननीय मुख्य मंत्री ने श्री हर्षवर्धन चौहान, सदस्य द्वारा उठाई गई आशंकाओं का निराकरण करते हुए **हिमाचल प्रदेश निक्षेपकों के हित का (वित्तीय स्थापनों में) संरक्षण संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 4)** को वापिस लेने का प्रस्ताव पुनः प्रस्तुत किया।

प्रस्ताव स्वीकार।

हिमाचल प्रदेश निक्षेपकों के हित का (वित्तीय स्थापनों में) संरक्षण संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 4) वापिस हुआ।

7. <u>विधायी कार्य</u>

सरकारी विधेयक की पुरःस्थापना

(i) **डॉ0 राम लाल मारकण्डा, कृषि मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि "हिमाचल प्रदेश भूमि अन्तरण (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 9)" को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

अनुमति दी गई।

"हिमाचल प्रदेश भूमि अन्तरण (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 9)" पुरःस्थापित हुआ।

8. <u>नियम-324 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख</u>

सर्वश्री इन्द्र सिंह, मुकेश अग्निहोत्री, राम लाल ठाकुर, हीरा लाल, होशयार सिंह, राम लाल ठाकुर, मुलख राज, इन्द्र दत्त लखनपाल,राकेश पठानिया, हर्षवर्धन चौहान तथा डॉ0(कर्नल) धनी राम शांडिल की ओर से नियम-324 के अन्तर्गत विषय उठाए गए समझे गए तथा संबंधित मंत्रियों द्वारा उनके उत्तर दिए गए समझे गए।

9. <u>नियम-63 के अन्तर्गत अल्पकालीन चर्चा</u>

श्री राकेश पठानिया, सदस्य ने **"जिला कांगड़ा में उच्च न्यायालय की पीठ (Bench) स्थापित करने बारे "** प्रस्ताव पर चर्चा की।

श्री होशियार सिंह, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया।

माननीय मुख्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

10. <u>नियम-61 के अन्तर्गत चर्चा</u>

(1) **श्री जगत सिंह नेगी** ने दिनांक 23 अगस्त, 2018 को उत्तरित तारांकित प्रश्न संख्याः 554 के उत्तर से उत्पन्न विषय पर चर्चा की ।

मुख्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(2) **श्री नरेन्द्र ठाकुर** ने दिनांक 27 अगस्त, 2018 को उत्तरित तारांकित प्रश्न संख्याः 658 के उत्तर से उत्पन्न विषय पर चर्चा की ।

माननीय खाद्य, नागिरक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

03.25 बजे अपराह्न सदन की बैठक वीरवार, 30 अगस्त, 2018 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित हुई ।

(**डॉ0 राजीव बिन्दल**)
अध्यक्ष

(**यशपाल शर्मा**)
सचिव